12.5.25

वकील महोदय उप०। पत्रावली में मय कुर्की अर्जी पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि तरपंच राम पंचायत, करौली द्वारा भी इनका नाम कुर्की के स्थान पर हप्पूराम सही माना है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है और तहसीलदार, करौली के अपीलांट का नाम कुर्की के स्थान पर हप्पूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली कैलाश कुमार होकर नहीं आ सकता है। पक्षकार की अपील खारिज किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)